



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 76-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012

दिनांक: 14 सितम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय में एतद्वारा निम्नांकित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) को स्तम्भ संख्या-03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम (अभियन्ता) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	निलम्बन के पश्चात् सेवा में पुनर्पदस्थापना पर नियमित तैनाती का कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रमेश कुमार 82061, मुजफ्फरनगर	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 सम्बद्ध, प्रबन्ध निदेशक पूर्वान्वयल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 सम्बद्ध, प्रबन्ध निदेशक कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्का), कानपुर

- 2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- 4— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 76(1)अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / समस्त निदेशक, के निजी सचिव उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वयल / पश्चिमान्वयल / मध्यान्वयल / दक्षिणान्वयल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / केस्को लिमिटेड, कानपुर।
- 3— अपर सचिव-प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अराजपत्रित, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— सम्बन्धित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल / नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

14.9.2012
(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव